प्रेस–नोट

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2009 हेतु मतदान दिवस पर मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त मतदाता की पहचान हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किये गये **है:–**

1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेन्स
3. आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन.)
4. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान–पत्र।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पासबुक (28.02.2009 को या उससे पूर्व खोला गया खाता)
6. सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2009 को अथवा उससे पूर्व जारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश (दिनांक 28.02.2009 को या उससे पूर्व जारी)
9. स्वतन्त्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान–पत्र
10. दिनांक 28.02.2009 या उससे पूर्व जारी शस्त्र लाइसेंस
11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2009 को या उससे पूर्व जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र।
12. दिनांक 28.02.2009 तक जारी फोटोयुक्त एन0आर0ई0जी0ए0 परिवारिक नोकरी प्रमाण पत्र (कार्ड)।
13. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.02.2009 को या उससे पूर्व जारी)

आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गये निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान की अनुमति दी जायेगी बशर्ते सभी सदस्य उनके साथ आये हो तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

दिनांक 22 अप्रैल, 2009

(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी